**छत्तीसगढ़ शासन**
**गृह (पुलिस) विभाग**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, नया रायपुर**

// आदेश //

नवा रायपुर अटलनगर, दिनांक 17.10.2025

**ESTB-101/354/2025-HOME SECTION:** राज्य शासन एतदद्वारा मंत्रि-परिषद निर्णय दिनांक 09.09.2025 के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्ति बाबत् जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 की कंडिका-14 को शिथिल करते हुए विशेष प्रकरण के तहत श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे पत्नि शहीद स्व.श्री आकाश राव गिरेपूजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा को 02 वर्ष की परिवीक्षा पर राज्य पुलिस सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रूपये 56100-177500,वेतन मैट्रिक्स-12) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंद्रखुरी, रायपुर में पदस्थ किया जाता है।

2/ परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा तैयार कार्यक्रम अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर वरिष्ठता का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त अंको को भी शामिल किया जा सकेगा।

3/ पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को प्रशिक्षण केन्द्र में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि में परीक्षा में असफल रहने पर अधिकारी की सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

4/ उक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अंतर्गत शासित होगी।

5/ उक्त नियुक्ति श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे पत्नि शहीद स्व. श्री आकाश राव गिरेपूजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा को एक माह के समय सीमा में प्रस्तुत करने के शर्त के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र में कोई विपरीत तथ्य आते है, तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

6/ श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे पत्नि शहीद स्व. श्री आकाश राव गिरेपूजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा द्वारा दी गई जानकारी /प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानो के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

7/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन लागू होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवको को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाएं और उन्हे लागू किया जाए के अध्यधीन रहेगें।

8/ परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बाण्ड शासन के हित मे निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। बाण्ड का प्रारूप संलग्न है। इसे भरकर पदस्थापना स्थान पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंदखुरी में उपस्थित होने पर प्रस्तुत करें।

9/ पुलिस अकादमी/छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम पृथक से जारी किये जावेगे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशो का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
Digitally signed by
RAM PRASAD CHOUHAN
Date: 17-10-2025
18:33:47

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग

पृष्ठा.**ESTB-101/354/2025-HOME SECTION** नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 17.10.2025
प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
02. विशेष सहायक, माननीय गृह मंत्री जी, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़।
03 अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
04. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन गृह, जेल, एवं परिवहन विभाग,मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
05. निज सचिव, प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
06. निज सचिव, सचिव, छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
07. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
08. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर।
09. सचिव, छ0ग0 लोक सेवा आयोग रायपुर।
10. पुलिस महानिदेशक छ0ग0 नवा रायपुर अटल नगर।
11. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय छ0ग0 नवा रायपुर अटल नगर।
12. संचालक, जनसंपर्क, छ0ग0 रायपुर।
13. निदेशक, पुलिस अकादमी, चंदखुरी रायपुर छ0ग0 की ओर कृपया उपरोक्त अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व निवास प्रमाण-पत्र तथा शैक्षाणिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाये और पूर्ण संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण कराये। यदि जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश मे आते है तो इन्हे कार्यभार ग्रहण न कराकर इनका प्रकरण इस विभाग को उचित मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करें। कृपया संबधित से कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व बाण्ड फार्म भरवाने का कष्ट करें।
14. संबंधित श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे, धर्मपत्नि शहीद स्व. श्री आकाश राव गिरेपूजे,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा हाऊस नं0 J00518,BIG/B01 मैपल ग्रीन सोसाइटी, गणपति विहार कॉलोनी फेस-1, चगोराभाठा, रिंग रोड़ नं0 1, रायपुर छ0ग0 को निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी,

चंदखुरी, जिला-रायपुर मे उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करे। कार्यभार ग्रहण करते समय निवास तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी मूल दस्तावेज पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, चंदखुरी में जिला-रायपुर को प्रस्तुत करें।

15.आर्डर फोल्डर..............................

**की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

Digitally signed by
POORAN LAL SAHU
Date: 17-10-2025
18:35:23

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग